न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 85/2023

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

अशोक कुमार मांगीलाल वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेष 7 नियम 11

सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट।

निर्णय **दिनांक** :– 13/08/24

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वाद पत्र के पद सं. 2 के अनुसार ग्राम पटेल नगर, तहसील बिलाडा की सरहद मे वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 से 4 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा सं. 2068 रकबा 2.1358 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय कतई नहीं है सही बात यह है कि ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाडा की सरहद में खसरा सं. 2068 रकबा 2.1358 हैक्टयर (13 बीघा 04 बिस्वा) भूमि प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार निवासी पटेल नगर वालों ने अपनी स्वअर्जित पूंजी से पाबूराम पुत्र किशनारामजी कौम कुम्हार निवासी पटेल नगर वालों से रूपये 99 में इकरार दिनांक 30.09.1974 को खरीद की। उसके बाद उक्त इकरार के जरिये नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम स्वीकृत हुआ व राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम इन्द्राज हुई। तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर कामिल मालिक काबिज मात्र प्रतिवादी सं. 1 है। सबूत में नामान्तरकरण सं. 707 एंव जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त जमीन खरीद के ऐवज में प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी निजी आय से बैचानकर्ता को प्रतिफल की राशि नकद अदा की,

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता व वादी के भाई धोकलराज का कोई सरोकार नही है। सबूत में इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि आराजी प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल की स्वअर्जित पूंजी से खरीदसुदा होने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है अर्थात वादी उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का अपना हक घोषित कराने के अधिकारी कतई नही है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं. 3 में जो सजरा खानदान वर्णित किया है वह बिल्कुल ही गलत है इस वंशावली का वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वादी ने ग्राम बोरून्दा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 1660 रकबा 24.14 बीघा एवं खसरा सं. 2289 रकबा 12.08 बीघा की भूमि का एक राजस्व वाद सं. 100/95 बअनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम वगैरा प्रस्तुत किया था उस वक्त भी वर्तमान में प्रस्तुत राजस्व वाद में वर्णित कृषि भूमि में हक हिस्सा प्राप्त करने का दावा वादी ने जानबूझकर पेश नहीं किया और न ही न्यायालय से समुचित अनुमति प्राप्त की। इसलिये वादी का वाद विधि द्वारा वर्णित होने से खारिज ए काबिल है। राजस्व वाद संकृ86/2020 अनवान चैनाराम बनाम सायरी वगैरा में प्रतिवादी सं. 1 सायरी व प्रतिवादी सं. 2 मुनकी उर्फ उनकी के विरूद्ध उपरोक्त भूमि के अलावा संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता सं. 138, 140, 141, 151, 494 व 644 एवं खसरा सं. 569 की भूमि का बंटवाडे का वाद पेश न कर मात्र खाता सं. 644 में स्थित भूमि का वाद वादी ने पेश किया। इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आादेश 2 नियम 2 सीपीसी का पेश किया। जिसका जवाब स्वयं वादी ने अपने हस्ताक्षरित दिनांक 07.04.2021 को न्यायालय में पेश किया। जिसमें लिखा कि वादीगण के दादा व परदादा एक ही है पैतृक सम्पति का बंटवाडा करवाना चाहते है, अन्य खाता सं. में वादीगण के दादा व परदादा के साथ अन्य सहकाश्तकार होने से बंटवाडा किया जाना संभव नहीं है। लिखा है तथा इनका आपस में सहमति से बंटवाडा पूर्व में मौके पर हो चुका है के तथ्य लिखे है। जबकि यह बात सर्वथा गलत है अन्त में लिखा कि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादीगण ने कोई विवाद नहीं किया है के तथ्य वर्णित किये इसलिये भी वादी का वाद कानूनन वर्जित है, क्योकि वादी ने राजस्व वाद सं. 86/2020 अनवान चैनाराम वगैरा बनाम सायरी वगैरा में वर्णित भूमि के अलावा अन्य सहखातेदारी की भूमि में अपने हक का त्याग किया है और किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का वर्णन नहीं किया है। वादी ने तीसरा राजस्व वाद सं. 97/2022 अनवान अशोक कुमार बनाम चैनाराम वगैरा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया जो चल रहा है। उक्त वादी का वाद कानूनन वर्जित है। पूर्व में प्रस्तुत वाद में वादी ने कोई हकत्याग नहीं किया और न ही दूसरा वाद पेश करने हेतु अनुतोष चाहा। वादी ने राजस्व सं. 100/95, राजस्व वाद 86/2020 एंव राजस्व वाद सं. 97/2022 पेश किया, जिसमें वाद की व्यू रचना अधूरी की है। यदि इस तीनों राजस्व वादों में एक ही तहसील में स्थित गांवों में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का बंटवाडा का व अन्य अनुतोष चाहता तो वर्तमान वाद पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। वादी के द्वारा प्रस्तुत पूर्व में वाद के समान ही एक अब प्रस्तुत किये गये वाद की घोषणा का अनुतोष चाहा है उन्हें अपने पूर्व में किये गये वाद को ही ऐसी घोषणा को त्याग, करने का आशय व्यक्त कर देना चाहिय था कि ऐसा अनुतोष (आगे) वर्तमान में प्रस्तुत होने वाले वाद में मांगेगे। इस सुविधा हेतु न्यायालय को सन्तुष्ट कर देना चाहिये था, जब समुचित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो वह अनुतोष वर्तमान में प्रस्तुत हुए वाद में नहीं मांगा जा सकेगा, ऐसी अपेक्षा करना आदेश 2 नियम 2 सीपीसी द्वारा वर्जित है और आदेश 7 नियम 11 घ सीपीसी के अन्तर्गत वाद रद्द करने योग्य है। वादी को उपरोक्त वाद पेश करने का कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये भी वादी का यह वाद खारिज ए काबिल है। वादी ने ऐसी सभी अनुतोषों के लिये वाद लाने का लोप न्यायलय की इजाजत के बिना वाद पेश किया है। इसलिये अब वादी ने जो अनुतोष चाहा है। इस प्रकार का वाद वादी नहीं ला सकता। वादी के नाबालिग होने एवं बालिग होने से क्या फर्क पडता है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल की खरीदसुदा स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें वादी को किसी भी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। वादी स्वयं बिलाडा तहसील में पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक काफी वर्षो पूर्व रह चुके है। फिर नायब तहसीलदार दूसरे जिले में रहे है, तहसीलदार पद से सेवानिवृत हुए है। अब वादी स्वयं वकालत बिलाडा में कर रहे है। जिनको शुरू से वादग्रस्त भूमि में बारे मे पूर्ण जानकारी थी। वादी ने एक राजस्व वाद सं. 100/95 बअनवान अशोक कुमार बनाम धोकलराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का पूर्व में पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 24.04.1997 को हो चुका है। व दूसरा दावा राजस्व वाद सं. 86/2020 अनवान चैनाराम वगैरा बनाम सायरी वगैरा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. का पेश किया जो विचाराधीन है। तीसरा वाद वादी ने राजस्व वाद सं. 97/2022 बअनवान अशोक कुमार बनाम चैनाराम वगैरा पेश किया है अब यह चौथा वाद वादी ने पेश किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जो विधि द्वारा वर्जित है प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु और पूर्व में निर्णीत मुकदमें की प्रमाणित प्रतिलिपिये लेने का प्रयास किया है जो मिलने पर न्यायालय में पेश कर दी जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 क घ सपठित धारा 151 सीपीसी को वादी को किसी प्रकार का वाद कारण प्रकट नहीं होने एवं वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चे खारिज फरमावें।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आादेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया गया कि पद सं. 1 कतई गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पटेल नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2068 रकबा 2.1358 हैक्टयर पैतृक सम्पति है उक्त भूमि संयुक्त परिवार में रहते हुए वादी के पिता श्री भीयाराम पुत्र श्री प्रभुराम द्वारा अपनी घाडी कमाई एंव खून पसीना एक कर कमाये गये रूपयें से खरीद की थी जो प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र होने के कारण प्रतिवादी मांगीलाल ने चुपके चुपके विधि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

विरूद्ध तरीके से अपने नाम करवा दी। उक्त खसरे की भूमि पर प्रतिवादी मांगीलाल का कोई हक नहीं है। केवल श्री भीयारामके उत्तराधिकारी का हक है। एवं कब्जा काश्त भी भीयाराम के उतराधिकारियों का जन्म से चला आ रहा है। वादी के पिता भीयाराम द्वारा खरीद के समय मांगीलाल बडा होने व पढा लिखा होने के नाते उस वक्त श्री भीयाराम के साथ ही रहता था तथा प्रतिवादी मांगीलाल श्री भीयाराम से अलग नहीं रहता था तब उसने उस राशि किसी स्त्रौत से प्राप्त किया गया उसका कोई उल्लेख नहीं है प्रतिवादी मांगीलाल ने अपने पिता के साथ धोखा कर उक्त खसरे की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम से गलत तरीके से करवा दी थी जो गलत है इस भूमि में श्री भीयाराम के समस्त वारिसान का हक हिस्सा व अधिकार है। पद सं. 2 जिस कदर लिखा गया है कतई गलत होने से अस्वीकार है प्रतिवादी द्वारा बनायी गई वंशावली भी गलत पेश की है। धोकलराम के एक पुत्री विद्यादेवी है जिसको नहीं बताया गया है तथा जोगी देवी के उत्तराधिकारी गलत बताये गये है। चम्पालाल के दो पत्नि बतायी गई है। जो हिन्दु विधि अनुसार कोई व्यक्ति दो पत्नि नही रख सकता है प्रथम पत्नि के जीवित रहते दूसरी पत्नि रखता है तो वह अवैध है जो वारिसान की श्रेणी मे नहीं आती है। पद सं. 3 जिस कदर लिखा गया है। कतई गलत होने से अस्वीकार है राजस्व वाद सं. 100/95 का वाद ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर से होने ग्राम पटेल नगर के उक्त खसरा का उल्लेख नहीं किया गया है। ग्राम पटेल नगर के खसरा नम्बर से संबंधित वाद सं. 97/2022 है जो न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा में विचाराधीन है जिसकी आगामी तारीख पेशी 06.11.2023 को नियत है जिसमे वादी को पूर्ण रूप से सफलता मिलने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। राजस्व वाद सं. 86/2020 सह खातेदारों का संयुक्त खाता होने से बंटवाडा का वाद पेश किया गया है। अन्य खाता सं. 138, 140, 141, 151, 494, 644 में अन्य सह खातेदार होने से इसके साथ पेश नहीं हो सकता है। उक्त खसरा नम्बर 2068 का बंटवाडा करवाने से अलग से वाद पेश हो जायेगा। वादसं. 97/2022 अन्तर्गत धारा 88,188

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आर.टी.एक्ट का पेश किया गया है जो वादी के पक्ष में होने से पूर्ण रूप से सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है राजस्व वाद सं. 86/2020 एवं 97/2022 पेश किया गया है। जिसकी न्यू रचना पूर्ण रूप से की गई है। वाद सं. 100/95 खातेदारी घोषणा का वाद था जिसमें वादी को पूर्ण सफलता मिल कर वाादी के पक्ष मे हो गया है। तथा वाद सं. 86/2020 बंटवाडा का वाद विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी 06.11.2023 को है एंव राजस्व वाद सं. 97/2022 खातेदारी घोषणा का विचाराधीन है। जिस वाद में वाद हेतु उत्पन्न होने पर ही वाद पेश किये गये है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 क में स्पष्ट है कि जहां वाद हेतुक उत्पन्न प्रकट नहीं करता है जहां वाद पत्र में स्पष्ट है कि वाद कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी काबिले खारीज के है। जिसे भारी खर्चे हर्जे के साथ खारीज फरमाया जावें। उक्त खसरा नम्बर 2068 की भूमि को वादी के पिता ने अपनी कमाई की राशि से खरीद की गई है। मगर प्रतिवादी मांगीलाल अपने पिता को धोखा देकर वादग्रस्त भूमि अपने पिता श्री भीयाराम के नाम से दर्ज नही करवा कर विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम करवा कर दी जो बिल्कुल गलत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी गण मांगीलाल वगैरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क)(घ)सपठित धारा 151 सी.पी.सी.को भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 2068 रकबा 2.1358 हैक्टयर के संबंध में वाद बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरान की भूमि वर्ष 1974 में 99/- रूपये प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर उक्त खसरा की भूमि को वादी के पिता भीयाराम को बैचान नही की। प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल पुत्र भीयाराम ने वर्ष 1968 में फर्जी व कूटरचित बैचाननामा तैयार कर उसको असल के रूप में उपयोग में लेकर मिलिभगत कर म्यूटेशन सं. 707 अपने नाम स्वीकृत कराकर उपरोक्त खसरे की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करा दी। जो बैचाननामा फर्जी व कूटरचित है। तथा ऐसे फर्जी व कूटरचित बैचाननामा के आधार पर न तो उपरोक्त क्रेतागण को व न ही प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कानूनन किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के वाद को धारा 207 आर.टी.एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है क्योकि इस न्यायालय द्वारा किसी भी दस्तावेज की न तो वैधता की जांच की जा सकती है और न वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2068 के संबंध में किये गये बैचाननामा को निरस्त किया जा सकता है। वादी द्वारा जिस आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वर्ष 1974 में प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल पुत्र स्व.भीयाराम के पक्ष में निष्पादित बैचाननामा को इस न्यायालय में चैंलेन्ज किया है उन आधारों का निस्तारण करने का व उक्त आधारों पर बैचाननामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। स्व. भीयाराम द्वारा अपने जीवनकाल में व भीयाराम के कायम मुकाम द्वारा वर्ष 1974 से आज दिन तक उक्त बैचाननामा को सिविल न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है, न ही अपास्त करने हेतु वाद पेश किया है। जब तक उक्त बैचाननामा सिविल न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता तब तक उक्त बैचाननामा के वैद्य व प्रभाव के दौरान यह न्यायालय न तो वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान कर सकता है न ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 326 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि "The Rajasthan Tenancy Act, Sec. 207- The Question of the jurisdiction is normally decided on

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

the basis of the pleadings and the plaint-document purported to be executed by plaintiff but challenged by her on the ground of fraud-Unless this documents is set aside by civil court no decree for declaration or patition sought by plaintiff can be awarded. Hence-Suit as framed is triable by civil court" जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होता है। उपरोक्त समस्त विवेचनों के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर वादी का दावा क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

अशोक कुमार — मांगीलाल वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 85/2023

निर्णय **दिनांक :–** 13/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का दावा क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/8/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा